GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR) R.B.E.NO.213/91.
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

NO.E(MPP)90/13/3 Pt. New Delhi, dated: 16.12.1991.

The General Manager,
South Central Railway,
Secunderabad.

Sub: Monetary incentives in the form of Training Allowance to Faculty Members employed in Zonal Civil Engineering Training School, Kacheguda.

Ref: Your letters No. P/GAZ/508/Engg./MVR dated 2.8.91 and 21.8.91.

Please refer to this Ministry's letter No.E(MPP)86/13/2, dated 28.3.89 wherein 30% Training Allowance was sanctioned to 1 Zonal Training School, 1 System Technical Training School on the 9 Railways and 1 Technical Training School in the 3 Production Units. Further to this, the Ministry of Railways had been considering the question of granting 30% Training Allowance to Faculty Members employed in certain other Training Schools. It has now been decided that Faculty Members, both gazetted and non-gazetted, drawn on deputation from the field for the purpose of imparting training in the Zonal Civil Engineering Training School, Kacheguda may also be granted the 30% Training Allowance.

2. The following guidelines should be observed for sanction of the Training Allowance:

(a) Faculty Members, both gazetted and non-gazetted, who are drawn on deputation from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted Training Allowance at the rate of 30% of the basic pay in the revised scales of pay;

(b) Consequent to the grant of Training Allowance as mentioned in para (a) above, the existing Training Allowance, special pay, deputation pay and allowances thereon will not be admissible to the Faculty Members drawn on deputation to these schools.

(c) Faculty Members recruited directly and specifically for the training institutions are not eligible for this Training Allowance.

(d) Faculty means 'An employee' of the Government who joins a Training Institute meant for training Government officials as a faculty member and whose work is to impart training/teaching. This will also include the Principal of ZCETS/Kacheguda.

(e) Staff, whether on deputation from the field or transferred or locally recruited, who are not directly engaged in imparting training/education will not be eligible for the Training Allowance.

contd/...

(f) Training Allowance will be admissible to Faculty Members without any ceiling and will not form part of pay as defined in FR(9) (21) (2003 (21)) -R.II but, however, will count for purpose of leave salary.

(g) The admissibility of the allowance in each individual case will be examined by a Committee at an appropriate level to be constituted by the General Manager in consultation with his FA&CAO.

The General Manager would constitute a Committee consisting of 3 HODs for screening gazetted trainers and a screening committee separately consisting of 3 JA Grade officers for screening non-gazetted trainers for the purpose. He would ensure personally that before the Training School and Trainers are sanctioned this allowance, they must satisfy the guidelines already notified. These Committees will screen the existing imcumbents drawn on deputation in terms of Board's instructions contained in their letter No.E(MPP)86/13/2 dated 29.6.90 read with letter No.E(MPP)86/13/2 dated 16.11.90 and would complete the process expeditiously. The trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres. Ad-hoc appointees will not be allowed this Training Allowance till they are regularised.

(h) Deputation period of Faculty Members shall not exceed five years in any case and under any circumstances.

3. These orders will take effect from 1.11.1991.

4. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(R.D.Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB)
Railway Board

No.E(MPP)90/13/3 Pt. New Delhi, dated: 16.12.1991

Copy forwarded for information to Director, Audit, S.C. Railway, Secunderabad.

for Financial Commissioner/Rlys.

No.E(MPP)90/13/3 Pt. New Delhi, dated: 16.12.1991.

1. FA&CAO, S.C. Railway, Secunderabad.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB)
Railway Board.

No.E(MPP)90/13/3 Pt. New Delhi, dated: 16.12.1991

Copy forwarded for information to:

1.General Secretary/NFIR, New Delhi (with 40 spares)
2.General Secretary/AIRF, New Delhi (with 40 spares)

for Secretary/Railway Board

Copy to:

Secretary, Joint Director(MPP&T), E(NG)I, E(NG)II, E(TRG), E(P&A)I, E(P&A)II, FE-III, PC-IV and F(E) (with five spares)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(एस पी पी)90/13/3 पार्ट नयी दिल्ली, दिनांक 16.12.1991

महाप्रबंधक,
दक्षिण रेलवे,
सिकन्दराबाद।

विषय:- क्षेत्रीय सिविल इंजीनियरी प्रशिक्षण विधालय, कचीगुड़ा में कार्यरत संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन।

संदर्भ:- आपके दिनांक 2.4.1991 और 21.8.91 के पत्र सं.पी/राज./508/इं जी/एस वी आर।

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 28.3.89 के पत्र सं.ई(एस पी पी)86/13/2 का अवलोकन करें जिसमें 9 क्षेत्रीय रेलों पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण विधालय, एक सिस्टम तकनीकी प्रशिक्षण विधालय को और 3 उत्पादन इकाइयों में एक तकनीकी प्रशिक्षण विधालय के लिए 30 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय द्वारा अन्य प्रशिक्षण विधालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों को 30 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता देने के प्रश्न पर भी विचार किया है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के संकाय सदस्यों को, जिन्हें फील्ड से क्षेत्रीय सिविल इंजीनियरी प्रशिक्षण विधालय, कचीगुड़ा में प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, भी 30 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाए।

2. प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित निर्देशक सिद्धान्तो का पालन किया जाए :

(क) राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के संकाय सदस्य, जिन्हें फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और जिनकी ड्यूटी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षा देना है उन्हें वेतन के संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाए।

....2/-

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये संकाय सदस्यों को मौजूदा प्रशिक्षण भत्ता, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और उनपर मिलने वाले भत्ते देय नहीं होंगे ।

(ग) सीधे और विशेष रूप से प्रशिक्षण स्थानों के लिए भर्ती संकाय सदस्य इस प्रशिक्षण भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

(घ) संकाय का अर्थ है: सरकार का एक ऐसा कर्मचारी जो सरकारी पद धारियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गये किसी प्रशिक्षण संस्थान में एक संकाय सदस्य की तरह शामिल होता है और जिसका कार्य प्रशिक्षण देना/अध्यापन करना है । इसमें क्षे॰सि॰इ॰प्र॰वि॰/कलीगुड़ा का प्रिंसीपल भी शामिल है ।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, चाहे वे फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर हों या स्थानान्तरित हों या स्थानीय तौर पर नियुक्त हों, और जिन्हें सीधे तौर पर प्रशिक्षण/शिक्षा देने के लिए नियुक्त न किया गया हो, प्रशिक्षण भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

(च) प्रशिक्षण भत्ता संकाय सदस्यों को बिना किसी उच्चतम सीमा के स्वीकार्य होगा और जैसा कि एफ॰आर(2)(21)(2002)21(-आर-11 में परिभाषित किया गया है वह वेतन का एक हिस्सा नहीं होगा परन्तु छुट्टी वेतन के प्रयोजन से गिना जायेगा ।

(छ) प्रत्येक अलग-अलग मामले में भत्ते की स्वीकार्यता/देयता वि स एवं पु॰ले॰अ॰ के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति द्वारा उचित स्तर पर जांची जाएगी ।

महाप्रबंधक एक समिति का गठन करेंगे जिसमें राजपत्रित प्रशिक्षार्थियों की स्क्रीनिंग के लिए तीन विभागाध्यक्ष और अराजपत्रित प्रशिक्षार्थियों की स्क्रीनिंग के प्रयोजन से, तीन कनिष्ठ प्रशा॰ ग्रेड अधिकारी की एक अलग से स्क्रीनिंग समिति होगी । वे वैयक्तिक रूप से सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण विद्यालयों और प्रशिक्षार्थियों को यह भत्ता स्वीकृत करने से पहले वे पहले से अधिसूचित सिद्धांतों पर पूरा उतरते हैं । ये समितियां दिनांक 16.11.1990 के पत्र सं॰ ई (एम पी पी)86/13/2 के साथ पठित दिनांक 29.6.90 के पत्र सं॰ई(एम पी पी)86/13/2 में समाविष्ट बोर्ड के अनुदेशों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये मौजूदा -पदधारियों की स्क्रीनिंग करेंगी । उन प्रशिक्षार्थियों को जिन्हें समिति संस्तुत नहीं करती उन्हें उनके मूल कैडर में वापिस भेज

...3/-

दिया जाए । तदर्थ नियुक्त वालों को तब तक प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया जाएगा जब तक वे नियमित नहीं हो जाते ।

(ज) सकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की अवधि किसी भी मामले में और किसी भी परिस्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. ये आदेश 1.11.1991 से लागू होंगे ।

4. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(आर डी लखनपाल)
निदेशक, स्था. (रे.भ. ब.)
रेलवे बोर्ड ।

सं0 ई (एम पी पी) 90/13/3/ पार्ट नयी दिल्ली, दिनांक 16.12.1991

प्रतिलिपि निदेशक, लेखा परीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे को सूचनार्थ प्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त / रेलें

सं. ई§एम पी पी§90/13/3 पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 16.12.1991

1. वि. स. एवं मु. ले. अधि., दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद ।

§आर. डी. लखनपाल§
निदेशक, स्था. §आर आर बी§,
रेलवे बोर्ड.

सं. ई§एम पी पी§90/13/3 पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 16.12.1991

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित :-

§1§ जनरल सेक्रेटरी/एन एफ आई आर, नई दिल्ली§40अतिरिक्त प्रतियों सहित§.

§2§ जनरल सेक्रेटरी/ए आई आर एफ, नई दिल्ली§40 अतिरिक्त प्रतियों सहित§.

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.